

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन भाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 09 /2017-18/ 418 /भू0अ0, दिनांक- 16.08.17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ, थाना-साहेबगंज (मु0), थाना सं0-01, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत एन0पी0सी0सी0 द्वारा मुक्तेश्वरधाम घाट के निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ, थाना-साहेबगंज (मु0), थाना सं0-01, अंचल-साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.62 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

| क्रम सं0 | खाता सं0 | सर्वे भूखंड सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) | | | |
|------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | | उ0 | द0 | पू0 | प0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | 172 | रैयती | कृषि | 0.36 | रामनरेश चौरसिया वल्द आनंद चौरसिया | मुक्तेश्वरधाम घाट | | | |
| 2 | - | 173 | रैयती | कृषि | 0.06 | दिलीप यादव वल्द कपिलदेव यादव | | | | |
| 3 | - | 169 | रैयती | कृषि | 0.20 | सुषमा राय जौजे शारदा प्रसाद राय | | | | |
| कुल रकवा- | | | | | 0.62 | | | | | |

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय

नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

ॐ
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 418 / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 16.08.17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ॐ
उपायुक्त,
साहेबगंज।